

कार्यालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर।

क्रमांक – 57

दिनांक – 24.10.2024

–: संशोधित कार्यालय आदेश :-

मैं, सुरेन्द्र चौधरी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोधपुर महानगर, जोधपुर एतद्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के पत्रांक-Gen-/XIX/Misc./2000/911/718, Dated-01.06.2001 की पालना में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13 (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-52 दिनांक 30-09-2024 में प्रशासनिक कारणों से आंशिक संशोधन करते हुए माह अक्टूबर-नवम्बर 2024 में दिनांक 30.10.2024 से 03.11.2024 को पूर्व में आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहने हेतु अधिकृत किए गए पीठासीन अधिकारी की ड्यूटी को निरस्त कर उनके स्थान पर निम्नलिखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आवश्यक कार्य हेतु मुख्यालय पर रहने हेतु अधिकृत करता हूँ, अन्य दिनांक के लिये पूर्ववर्ती आदेश प्रभावी रहेंगे-


क्र.सं.	दिनांक	पीठासीन अधिकारी	न्यायालय	मोबाइल नंबर
01.	30.10.2024	श्री प्रवीण चौधरी	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।	9828714545
02.	31.10.2024			
03.	01.11.2024			
04.	02.11.2024			
05.	03.11.2024			

रिमाण्ड प्राधिकृत किये जाने के दौरान रिमाण्ड में अभिवृद्धि हेतु उपरोक्तानुसार दाण्डिक कार्य रिमाण्ड आदि के लिए प्राधिकृत किए गए रिमाण्ड मजिस्ट्रेट से यह अपेक्षा की जाती है कि वे न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि को प्राधिकृत करने की स्थिति में न्यायिक अभिरक्षा वारंट में स्पष्ट रूप से उक्त न्यायालय का नाम अंकित करें, जिस न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा की अभिवृद्धि हेतु मुलजिम को पेश किया जाना है।

नोट - (ए) उपरोक्त अधिकारी की रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारंभ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का संपादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

(बी) अभियुक्तगण को पीठासीन अधिकारी के निवास स्थान पर पेश करते समय निवास में प्रवेश न कराकर बाहर रखा जावे व संबंधित अधिकारी के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सी) उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है, तो उनके स्थान पर आने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी की जाएगी अथवा किन्हीं अन्य परिस्थितियों में संबंधित पीठासीन अधिकारी का रिमाण्ड ड्यूटी करने हेतु उपलब्ध नहीं होने की दशा में उक्त रिमाण्ड ड्यूटी लिंक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पन्न की जावेगी।



मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।

दिनांक – 24.10.2024

क्रमांक - (1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

01. श्रीमान् जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
02. स्थापना शाखा, जिला एवं सत्र न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
03. पुलिस उपायुक्त, पूर्व, जोधपुर महानगर।
04. पुलिस उपायुक्त, पश्चिम, जोधपुर महानगर।
05. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर।
06. अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसियेशन, जोधपुर।
07. उपनिदेशक, अभियोजन विभाग, जोधपुर महानगर।
08. ड्यूटी ऑफिसर, पुलिस कण्ट्रोल रूम, जोधपुर शहर।
09. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
10. श्रीमान् प्रभारी अधिकारी, नजारत शाखा, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
11. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
12. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 02, जोधपुर महानगर, जोधपुर।
13. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (आर्थिक अपराध), जोधपुर महानगर, जोधपुर।
14. कार्यालय प्रति।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जोधपुर महानगर, जोधपुर।